धारा 14 : पूर्तिकार द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं के कर का संदाय करने का विशेष उपबन्ध

(1) किसी गैर–कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति पर और जो गैर–कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती हैं, किसी गैर–कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित सेवाओं का पूर्तिकार वह व्यक्ति होगा, जो सेवाओं की ऐसी पूर्ति पर एकीकृत कर के संदाय के लिए दायी होगा :

परन्तु गैर कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति और जो गैर–कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की जाती हैं, की दशा में गैर–कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे मध्यवर्ती को, जो ऐसी सेवाओं की पूर्ति का प्रबन्ध करता है या उसको सुकर बनाता है, गैर–कराधेय राज्यक्षेत्र में सेवाओं के पूर्तिकार और गैर–कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने से ऐसी सेवाओं का प्राप्तिकर्ता समझा जाएगा सिवाय जब ऐसा मध्यवर्ती निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :

(क) पूर्ति में भाग लेने वाले ऐसे मध्यवर्ती द्वारा बीजक, ग्राहक के बिल या जारी या उपलब्ध कराई गई रसीद में प्रश्नगत सेवा और उसके पूर्तिकार को गैर–कराधेय राज्यक्षेत्र में स्पष्टतः परिलक्षित किया गया है;

(ख) पूर्ति में सम्मिलित मध्यवर्ती ग्राहक के प्रभार को प्राधिकृत नहीं करता है या उसके प्रभार में भाग नहीं लेता है, जो मध्यवर्ती न तो किसी भी रीति में संदाय को संगृहीत करता है या उस पर कार्रवाई करता है, न ही गैर–कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता और ऐसी पूर्ति के पूर्तिकार के बीच संदाय के लिए उत्तरदायी है;

(ग) पूर्ति में सम्मिलित मध्यवर्ती परिदान को प्राधिकृत नहीं करता है; और

(घ) पूर्ति के साधारण निबंधन और शर्तें, पूर्ति में सम्मिलित मध्यवर्ती द्वारा नहीं बल्कि सेवाओं के पूर्तिकार द्वारा निश्चित की जाती है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं का पूर्तिकार एकीकृत कर के संदाय के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली सरलीकृत रजिस्ट्रीकरण स्कीम के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण लेता है :

परन्तु कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे पूर्तिकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई भी व्यक्ति स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगा और पूर्तिकार की ओर से एकीकृत कर का संदाय करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा पूर्तिकार कराधेय राज्यक्षेत्र में वस्तुतः उपस्थित नहीं है या किसी प्रयोजन के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं रखता है, तो वह एकीकृत कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे कर के संदाय के लिए दायी होगा।